



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 30.05.2025

बागपत पुलिस ने 27 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस द्वारा 27 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-रविश पुत्र संतराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-मुकेश पुत्र स्व:गिरिराज निवासी ग्राम मवीखुर्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-पिन्टू पुत्र मुकेश निवासी ग्राम मवीखुर्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-अशोक कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी ग्राम कैडवा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 5-देवेन्द्र पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम तिलवाडा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 6-दीपक पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 7-वीरेन्द्र पुत्र खेमचन्द निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

- 8-रविन्द्र पाल पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम गैडबरा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 9-सोनू पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम गैडबरा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 10-संजीव पुत्र नाहर सिंह निवासी ग्राम झुण्डपुर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 11-गयूर पुत्र इलियास निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 12-सुहैल पुत्र गयूर निवासी ग्राम पलडा थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 13-राहुल पुत्र चन्द्रपाल उर्फ इन्द्रपाल निवासी बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 14-पुष्पेन्द्र पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 15-हाकम अली पुत्र जबरदीन निवासी ग्राम लधवाड़ी थाना कोतावली बागपत जनपद बागपत ।
- 16-भूरा पुत्र मौसम अली निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 17-कुंवरपाल उर्फ गर्वनर पुत्र फेरू कश्यप निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाड़ा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 18-वासिल पुत्र यामीन निवासी मौ० देशराज कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 19-अमित पुत्र छोटेलाल निवासी मौ० गायत्रीपुरम कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 20-शिवम उर्फ चुन्नु पुत्र संजय निवासी मौ० ठाकुरद्वारा कस्बा व थाना बागपत जनपद बागपत ।
- 21-विजयपाल पुत्र गोरखी निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 22-महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजा निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 23-पीतम पुत्र होशियार निवासी ग्राम पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 24-सत्तार पुत्र बशीर निवासी ग्राम खेडकी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 25-गयूर पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

26-किरनपाल उर्फ किरनू पुत्र दुर्गा जोगी निवासी ग्राम हरियाखेडा थाना बालैनी जनपद बागपत ।

27-रामबीर पुत्र छोटूराम निवासी बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना बिनौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 2-थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम । (03 वारंटी)
- 3-थाना छपरौली पुलिस टीम । (03 वारंटी)
- 4-थाना दोघट पुलिस टीम । (07 वारंटी)
- 5-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (11 वारंटी)
- 6-थाना बालैनी पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 7-थाना बडौत पुलिस टीम । (01 वारंटी)



दिनांक 30.05.2025

थाना बडौत पुलिस ने 02 अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 किलो 310 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के



दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 किलो 310 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 333/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मोनू पुत्र रणवीर निवासी पट्टी रावण ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-राजेश पुत्र जयभगवान निवासी पट्टी रावण ग्राम मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 किलो 310 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-है0का0 22 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 4-का0 686 संजय सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 30.05.2025

थाना खेकडा पुलिस व स्वाट टीम बागपत की सयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में वांछित 25 हजार रूपये के इनामी अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 31.12.2024 को थाना खेकड़ा पर वादी श्री धीर सिंह पुत्र बेदराज सिंह निवासी छुर थाना सरधना जनपद मेरठ ने लिखित सूचना दी कि दिनांक 29.12.2024 को उसका पुत्र हिमांशु उर्फ छोटू अपने मामा के गाँव बसी आया हुआ था, जिसकी अभियुक्तों 1.संदीप उर्फ बिट्टू, 2.अक्षय पुत्रगण ओमकार व 3.चिन्टू



पुत्र कवंरपाल उर्फ कल्लू निवासीगण ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी है तथा शव को हिन्दन नदी में फेंक दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व इनामी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खेकड़ा पुलिस व स्वाट टीम बागपत की सयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है तथा अभियुक्त की निशांदाही पर मृतक हिमांशु के जूते एवं स्वयं अभियुक्त अक्षय के रक्त रंजित जूते बरामद हुए हैं।

अभियुक्त अक्षय थाने के मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25000 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट:- उपरोक्त अभियोग में थाना खेकडा पुलिस द्वारा पूर्व में 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अक्षय पुत्र ओमकार निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

अभियुक्त अक्षय का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 454/24 धारा 103(1)/238/3(5) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 174/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण -

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस ।
- मृतक हिमांशु के जूते व अभियुक्त अक्षय के रक्त रंजित जूते ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री कैलाशचन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 श्री सूर्यदीप सिंह जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-मु0आ0 218 धर्मेन्द्र भाटी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5-मु0आ0 681 दीपक कुमार स्वाट टीम जनपद बागपत ।

6-मु0आ0 680 अमरजीत स्वाट टीम जनपद बागपत ।

7-मु0आ0 586 लोकेश भाटी स्वाट टीम जनपद बागपत ।

8-मु0आ0 370 इरशाद अहमद स्वाट टीम जनपद बागपत ।

9-मु0आ0 469 नरेन्द्र नागर स्वाट टीम जनपद बागपत ।

10-का0 मोनू 375 शर्मा स्वाट टीम जनपद बागपत ।

11-का0 435 नवीन नागर थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 30.05.2025

थाना खेकडा पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-युसुफ पुत्र उम्मेद निवासी ग्राम बड़ागांव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-रिजवान पुत्र मइनुद्दीन निवासी ग्राम अहमदनगर थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री सुजीत कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 218 धर्मेन्द्र थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-का0 435 नवीन नागर थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-का0 1093 सुमित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 30.05.2025

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा दो बच्चों (03 व 02 वर्ष) को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा गुमशुदा दो (03 व 02 वर्ष) के बच्चों निवासी माता कालोनी कस्बा व थाना कोतवाली बागपत को अल्प समय में कस्बा बागपत से सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है ।

परिजनों द्वारा थाना कोतवाली बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।



बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-का0 379 अखिलेश शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

2-म0का0 03 कविता थाना कोतवाली बागपत ।



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में मारपीट व छेड़छाड़ के आरोपी महबूब अल्वी, मतलूब, आदिल, राजू उर्फ फरहाज अली को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2021 में अभियुक्त महबूब अल्वी, मतलूब, आदिल पुत्रगण हवीब, राजू उर्फ फरहाज अली पुत्र महबूब निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा छेड़छाड़ व मारपीट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 214/2021 धारा 323/504/506/354ख भादवि व 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.05.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/स्पेशल एससी एसटी एक्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त महबूब अल्वी, मतलूब, आदिल, राजू उर्फ फरहाज अली प्रत्येक को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghatpatpolice

baghatpatpolice

Baghatpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 30.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/25 धारा 2(ख)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की



गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/25 धारा 2ख(1)/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एव समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 में नामित 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अगिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-शाहरुख पुत्र रियाजूद्दीन निवासी शोएब जुबली स्कूल के पास मुस्तफाबाद कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

2-फरमान पुत्र अहसान कुरैशी निवासी राशिद अली गेट कस्बा व थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

अभियुक्त शाहरुख का आपराधिक इतिहास-

1-803/24 309(4)/317(2)/317(5) बीएनएस 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-163/25 2(ख)1/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

अभियुक्त फरमान का आपराधिक इतिहास-

1-485/24 392/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-803/24 309(4)/317(2)/317(5) बीएनएस 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-163/25 2(ख)1/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2- उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3- है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4- का0 467 टिंकू अधाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।